न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : बीलवाडी, कैम्प दिनांक 24.05.2018

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– **58/2014** दायर तारीख **27.05.2014**

1. गोविन्दसिंह
2. सुलतान सिंह
3. मूलसिंह

पिसरान भंवरसिंह जाती राजपूत निवासी धोलीकोठी तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

--- वादीगण

बनाम

1. प्रभूसिंह
2. ईश्वरसिंह

पुत्रान सूर्यभानसिंह जाती राजपूत निवासी धोलीकोठी तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर तहसील विराटनगर
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
5. तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
6. जयनारायण पुत्र रामेश्वर जाती गुर्जर निवासी गुर्जरपुरा तहसील विराटनगर
7. ज्याना देवी पत्नी सीताराम जाती जाट निवासी शाहपुरा, जिला जयपुर
8. रामसिंह पुत्र इन्द्रसिंह शेखावत जाती राजपूत निवासी चतरपुरा तहसील विराटनगर

--- प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री मातादीन शर्मा, अधिवक्ता वादीगण
श्री गणपतलाल पंसारी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 24.05.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बीलवाडी के साबिक खसरा नम्बर 658 रकबा 6 बीघा, 659 रकबा 2 बीघा 1 बिसवा, 660 रकबा 2 बीघा 6 बिसवा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पूर्वज मगनसिंह की रही है, जिस पर काबिज काश्त रहे हैं तथा उनके फौत होने बाद उनके वारिसान काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पूर्व सूर्यभान सिंह को भागीरथसिंह ने कभी भी गोद नहीं लिया, तथा न ही कोई गोद की लिखापढी की है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पूर्वज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not O

सूर्यभानसिंह ने अकेले आराजी मुतनांजा साबिक खसरा नम्बर 658, 659, 660 की खातेदारी में हिस्से 3/4 की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराली तथा शेष 1/4 भाग की खातेदारी कुशाल जाट के नाम अंकित करा दी, जबकि उक्त आराजी के हिस्सा 1/2 पर वादीगण एवं उनके पूर्वज तथा शेष 1/2 भाग पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 का पूर्वज सूर्यभानसिंह नरस–सरस के हिसाब से काबिज काश्त अपने जीवनकाल में करते रहे है। आराजी के हिस्से 1/4 जिसकी खातेदारी कुशाल जाट के नाम दर्ज है पर उसका कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, जिससे उसकी खातेदारी समाप्त की जा चुकी है।

आराजी मुतनाजा साबिक खसरा नम्बर 658 लगायत 660 के हाल भू–प्रबन्ध कार्यवाही में हाल खसरा नम्बर 1610 लगायत 1612 ग्राम धोलीकोठी कायम किये गये। हाल खसरा नम्बर 1612 की खातेदारी वादीगण के नाम पृथक अंकित की गई मगर खसरा नम्बर 659 की भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पूर्वज सूर्यभानसिंह तथा वादीगण के पूर्वज भंवरसिंह द्वारा भैंरूसिंह, सुगनसिंह पिता हरनाथसिंह को अपने जीवनकाल में दान मे दी थी, जिसका उपयोग अपने जीवनकाल में तथा उनकी मृत्यु बाद उनके वंशज जयसिंह, मूलसिंह पुत्र भैंरूसिंह, चांद कंवर पत्नी भैंरूसिंह तथा मृतक प्रहलादसिंह एवं उसका भाई रामकरण पुत्र सुगनसिंह अपने जीवनकाल में तथा प्रहलादसिंह की मृत्यु बाद उसके वंशज रामकरण तथा भंवर कंवर काबिज रहकर काश्त करते चले आये है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने नाजायज रूप से अपने पिता की खातेदारी में दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाते हुए तथा उक्त भूमि के हिस्से 1/2 भाग की भूमि पर वादीगण के पूर्वज के कब्जा काश्त के विपरीत अकेले हथियाने की गरज से अर्सा 2–3 वर्ष पूर्व छुडवाली है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 वादीगण को उनके हिस्से 1/2 भाग की भूमि की शान्तिपूर्वक काश्त नहीं करने देना चाहते है, तथा जबरन बेदखल करने पर आमादा है एवं वादीगण के हिस्से 1/2 भाग के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने साबिक खसरा नम्बर 659 से बने हाल खसरा नम्बर 1610, 1611 के हिस्से 1/2 भाग जो वादीगण का है, को हडपने की गरज से आपसी सहमति के आधार पर नुमायशी तौर पर बंटवारा भी कर लिया है तथा खसरा नम्बर 1610/0.1050, 1611/0.07 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ने तथा खसरा नम्बर 2346/1610/0.1050, 2347/1611/0.07 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में वादीगण के हक अधिकारों के विपरीत मनमाने तरीके से दर्ज कराली है। वादीगण ने

उप खण्ड अधिकारी किशनगढ़ (जयपुर) राजस्थान

पीठासीन अधि

प्रतिवादीगण से आराजी के हिस्से 1/2 की खातेदारी अपने नाम दुरूस्त कराने हेतु कई बार कहा, लेकिन प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये। अतः निवेदन है कि वादीगण को ग्राम धोलीकोठी के खसरा नम्बर 1610/0.105, 1611/0.07, 2346/1610/0.105, 2347/1611/0.07 हैक्टेयर के हिस्से 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के हिस्से 1/2 के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें, जबरन बेदखल नहीं करें, राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

2. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 15 संवत् 2070–2073, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 62 संवत् 2070–2073, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 4 संवत् 2070–2073, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2016, नकल मिलान क्षेत्रफल आदि पेश किये।
3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर, प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब दावा पेश किया।
4. प्रतिवादी का जवाब रहा कि खसरा नम्बर 658, 659, 660 कभी भी मगनसिंह की भूमि नहीं रही है, न ही वादीगण का उक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा है। कुशला जाट की खातेदारी उसके मरने के बाद मूला के आयी एवं उसके मरने के बाद उसकी पत्नी फूला देवी के आयी, जिससे प्रतिवादी के पिता सूर्यभान सिंह ने पैसे देकर उसके हिस्से को बयान करवाकर खातेदारी से उसका नाम हटवाया एवं इसके हिस्से को क्रय किया, जो बदस्तूर आज भी उसका हिस्सा प्रतिवादीगण के पास कब्जा काश्त मे है, मौके पर खसरा नम्बर 1611/0.07 हैक्टेयर पर प्रतिवादीगण के पत्थर पडे हुए है। वादीगण के नाम जो भूमि आयी, उसकी पूर्व खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम है, जो पारावारिक व्यवस्था के कारण दुरूस्ती नहीं करवायी है। प्रतिवादीगण ने उक्त खसरा नम्बर मे धोलीकोठी उच्च माध्यमिक विद्यालय को भूमि दान स्वरूप दी है, उसके बाद उस भूमि का निर्णय न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 03.01.2013 को किया गया है, यदि उक्त निर्णय वादीगण के हकों के विपरीत था, तो क्यों नहीं वादीगण ने उक्त निर्णय को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष आधारहीन है। अतः प्रस्तुत वाद मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे।
5. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बीलवाडी में मजमा–ए–आम राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण कराने हेतु पेश हुई। उपस्थित उभय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पक्षकारान की समझाईश की गई। उभय पक्षकारान ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों, का अवलोकन किया गया। वस्तुतः मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2070–2073 आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 1610/0.1050, 1611/0.07 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा खसरा नम्बर 2346/1610/0.1050, 2347/1611/0.07 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्व लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उभय पक्षकारान ने मजमे आम उपस्थित होकर आराजी मुतनाजा के संबंध में राजीनामा पेश किया है। मुताबिक राजीनामा हाल खसरा नम्बर 1610/0.1050, 2346/1610/0.1050 हैक्टेयर के रकबा 0.0175 हैक्टेयर दक्षिण तरफ की भूमि जो वादीगण के कब्जा काश्त में है, की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड किये जाने बाबत सहमति दी है, उक्त आराजी पर भविष्य में प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नहीं होगा। प्रस्तुत राजीनामा के उभय पक्षकारान की पहचान उनके अधिवक्तागण ने की है तथा सहमति स्वरूप सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी की है। जहां तक वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने का प्रश्न है, वादीगण उक्त आराजी रकबा की स्टाम्प ड्यूटी देने पर सहमत है। अतः तहसीलदार विराटनगर नियमानुसार आराजी के रकबे की स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमा करावें।

7. परिणामतः वादी वादपत्र के मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाता है। वादीगण को ग्राम धोलीकोठी के खसरा नम्बर 1610/0.1050, 2346/1610/0.1050 हैक्टेयर के रकबा 0.0175 हैक्टेयर दक्षिण तरफ की भूमि जो वादीगण के कब्जा काश्त में है, का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि वादीगण के नाम दर्ज किये जाने वाले रकबा की नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा कर, राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिकी तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 24.05.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प बीलवाडी में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प कोर्ट बीलवाडी

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. गोविन्दसिंह
2. सुलतान सिंह
3. मूलसिंह

पिसरान भंवरसिंह जाती राजपूत निवासी धोलीकोठी तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

— वादीगण

बनाम

1. प्रभूसिंह
2. ईश्वरसिंह

पुत्रान सूर्यभानसिंह जाती राजपूत निवासी धोलीकोठी तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर तहसील विराटनगर
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
5. तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
6. जयनारायण पुत्र रामेश्वर जाती गुर्जर निवासी गुर्जरपुरा तहसील विराटनगर
7. ज्याना देवी पत्नी सीताराम जाती जाट निवासी शाहपुरा, जिला जयपुर
8. रामसिंह पुत्र इन्द्रसिंह शेखावत जाती राजपूत निवासी चतरपुरा तहसील विराटनगर

— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 58/2014 दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू श्री मातादीन शर्मा एडवोकेट व हाजरी .... मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री गणपतलाल पंसारी एडवोकेट कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि वादीगण को ग्राम धोलीकोठी के खसरा नम्बर 1610/0.105, 1611/0.07, 2346/1610/0.105, 2347/1611/0.07 हैक्टेयर के हिस्से 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के हिस्से 1/2 के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें, जबरन बेदखल नहीं करें, राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बीलवाडी में मजमा–ए–आम उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। उभय पक्षकारान ने प्रकरण में मुताबिक राजीनामा निर्णय किये जाने का निवेदन किया है।

पीठासीन अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। वादीगण को ग्राम धोलीकोठी के खसरा नम्बर 1610/0.1050, 2346/1610/0.1050 हैक्टेयर के रकबा 0.0175 हैक्टेयर दक्षिण तरफ की भूमि जो वादीगण के कब्जा काश्त में है, का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि वादीगण के नाम दर्ज किये जाने वाले रकबा की नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा कर, राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल--दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। खर्चा पक्षकार अपना--अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 24.05.2018 को मजमा-ए-आम कैम्प बीलवाडी में सुनाया

उप खण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर
पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.05.2018 को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा गुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीरो दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर
पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)